

क्रमांक 4643-3 एस0-72/21708

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में,

- (1) हरियाणा के सभी विभागाध्यक्ष,
आयुक्त, अम्बाला मण्डल तथा सभी उपायुक्त एवं उप-मण्डल अधिकारी ।
- (2) रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय तथा
हरियाणा के सभी जिला तथा सत्र न्यायाधीश ।

दिनांक चण्डीगढ़, 21 जुलाई, 1972

विषय :—गोपनीय रिपोर्ट—प्रशंसा पत्र जारी करना ।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं आपका ध्यान उपर्युक्त विषय पर संयुक्त पंजाब के परिपत्र क्रमांक 2334 ए0 एस0 1-60/15708, दिनांक 3 मई, 1960 के परा-9 की ओर दिलाऊँ और बताऊँ कि इस पैरा के नीचे एक्सप्लेनेटरी नोट (II) में यह बताया गया है कि गोपनीय रिपोर्टों के आधार पर जारी किए जाने वाले प्रशंसा पत्र सम्बन्धित कर्मचारियों के नियुक्ति प्राधिकारी या उस प्राधिकारी जो सम्बन्धित कर्मचारी की चरित्र पंजी में नटेन करता हो, द्वारा जारी किए जाने चाहिए । इसके अतिरिक्त हरियाणा सरकार के परिपत्र अशा: क्रमांक 2817 एस-71, दिनांक 10 मई, 1971 द्वारा यह हिदायतें जारी की गई थीं कि समानता रखने के लिये प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के प्रशंसा पत्र जारी करने के सभी मामले सम्बन्धित विभाग द्वारा सीधे मुख्य मन्त्री जी को प्रस्तुत किए जाएं ।

2. प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को छोड़कर शेष सभी प्रकार के अधिकारियों/कर्मचारियों के बारे में अब सरकार ने निर्णय लिया है कि इन केसों में प्रशंसा-पत्र उनके सम्बन्धित प्रशासकीय सचिवों द्वारा अनुमोदन किए जाने के पश्चात ही सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी किए जाएं ।

भवदीय,

हस्ताक्षर

उप-सचिव, राजनैतिक एवं सेवाएं,
कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :—

- (1) हरियाणा के सभी वित्तायुक्त
- (2) सभी प्रशासकीय सचिव ।

हस्ताक्षर/—

उप सचिव, राजनैतिक एवं सेवाएं
कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

- (1) हरियाणा के सभी वित्तायुक्त ; तथा
- (2) सभी प्रशासकीय सचिव ।

अशा. क्रमांक 4643-3 एस-72 दिनांक चण्डीगढ़ 21 जुलाई, 1972